



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आश्विन 1945 (श10)
(सं0 पटना 806) पटना, बृहस्पतिवार, 5 अक्टूबर 2023

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
5 अक्टूबर 2023

एस0 ओ0 261, दिनांक 5 अक्टूबर, 2023-- बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(बिहार अधिनियम -12, 2017) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, वह वर्णन जिसे इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट किया गया है और यथास्थिति, उक्त अनुसूची स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अधीन आती हो, माल के विनिर्माण में लगे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अपनाई जाने वाली निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित करते हैं, अर्थात्:-

1. पैकिंग मशीनों का विवरण

(1) इस अधिसूचना की अनुसूची में उल्लिखित मालों के विनिर्माण में लगे सभी विद्यमान रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से इस अधिसूचना के जारी किए जाने के 30 दिन के भीतर प्ररूप एस.आर.एम-1 में पाउच या कंटेनर को भरने और पैक करने के लिए उपयोग की जा रही पैक करने वाली मशीनों के ब्यौरे को तैयार करेगा,-

प्ररूप एस.आर.एम.-I

क्र.सं.	मशीन का निर्माण और मॉडल नंबर (निर्माता के नाम सहित)	मशीन की खरीद की तारीख	काराबर के स्थान का पता जहां स्थापित किया गया है	पटरियों की संख्या	प्रत्येक ट्रेक की पैकिंग क्षमता	मशीन की कुल पैकिंग क्षमता	मशीन द्वारा प्रति घंटे बिजली की खपत	सहायक दस्तावेज़	मशीन की युनिक आईडी (ऑटो पॉपुलेट होने के लिए)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
								<<चार्टर्ड इंजन से क्षमता प्रमाण पत्र >>	

(2) कोई भी व्यक्ति जो इस अधिसूचना की अनुसूची में उल्लिखित माल का निर्माण करने का आशय रखता है और जिसे इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, ऐसी रजिस्ट्रेशन के मंजूरी के पंद्रह दिनों के भीतर सामान्य पोर्टल पर प्ररूप एस.आर.एम.-I में पाउच और कंटेनर को भरने और पैकिंग के लिए उपयोग की जा रही पैकिंग मशीनों के ब्यौरे को पूरा करेगा।

(3) काराबर के रजिस्ट्रीकृत स्थान में स्थापित की जा रही किसी भी अतिरिक्त भरने और पैकिंग मशीन के ब्यौरे प्ररूप-आईआईए-1 में ऐसे अवस्थापन के 24 घंटे के भीतर उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) प्ररूप एसआरएम-I या प्ररूप एसआरएम-Iक में ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करने पर, प्रत्येक मशीन के लिए एक विशिष्ट आईडी तैयार की जाएगी, जिसके ब्यौरे सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

(5) यदि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने किसी अन्य सरकारी विभाग या किसी अन्य अभिकरण या संगठन को विनिर्माण इकाई या उसकी मशीनों को उत्पादन क्षमता प्रस्तुत या घोषित किया है, उक्त घोषणा या प्रस्तुत करने के पंद्रह दिनों के भीतर सामान्य पोर्टल पर प्ररूप एसआरएम-Iक में उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा:

परंतु जहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने अपनी विनिर्माण इकाई या उसकी मशीनों की उत्पाद क्षमता को किसी अन्य सरकारी विभाग या किसी अन्य अभिकरण या संगठन को इस अधिसूचना को जारी करने से पूर्व प्रस्तुत या घोषित किया है, इस अधिसूचना के जारी किए जाने के तीस दिन के भीतर सामान्य पोर्टल पर प्ररूप एसआरएम-Iक में उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

प्ररूप एसआरएम-Iक

क्र.सं.	सरकारी विभाग/किसी अन्य एजेंसी या संगठन का नाम	घोषणा/प्रस्तुति का प्रकार	घोषणा/प्रस्तुति का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)
		<<घोषणा की प्रति को पोर्टल पर अपलोड किया जाना>>	

प्ररूप एस.आर.एम-॥क
[अतिरिक्त मशीन (नों) के अवस्थापन के ब्यौरे]

क्र.सं.	मशीन का मेक और मॉडल नंबर (निर्माता के नाम सहित)	मशीन की खरीद की तारीख	मशीन की स्थापना की तारीख	कारबार के स्थान का पता जहां स्थापित किया गया है	पटरियों की संख्या	प्रत्येक ट्रैक की पैकिंग क्षमता	मशीन की कुल पैकिंग क्षमता	मशीन द्वारा प्रति घंटे बिजली की खपत	सहायक दस्तावेज़	मशीन की यूनिट आईडी (ऑटो-पॉपुलेट होने के लिए)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									<<चार्टर्ड इंजीनियर से क्षमता प्रमाणपत्र>>	

(6) कारबार के रजिस्ट्रीकृत स्थान से हटाए गए किसी विद्यमान भरने और पैक करने वाली मशीन के ब्यौरे को **प्ररूप एस.आर.एम-॥ख** में ऐसे हटाए जाने के 24 घंटे के भीतर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

प्ररूप एस.आर.एम-॥ख
[विद्यमान मशीन (नों) के हटाए जाने के ब्यौरे]

क्र. सं.	मशीन की यूनिट आईडी	मशीन का निर्माण और मॉडल नंबर << ऑटो-पॉपुलेट >>	मशीन की खरीद की तारीख << ऑटो-पॉपुलेट >>	कारबार के स्थान का पता जहां से मशीन को हटाया जाता है: << ऑटो-पॉपुलेट >>	पटरियों की संख्या << ऑटो-पॉपुलेट >>	प्रत्येक ट्रैक की पैकिंग क्षमता << ऑटो-पॉपुलेट >>	मशीन की कुल पैकिंग क्षमता << ऑटो-पॉपुलेट >>	हटाने की तारीख	मशीन को हटाने/निपटान करने के कारण।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									<< तीसरे पक्ष को बेचा गया >> <<कबाड़>>

2. अनुसूची में उल्लिखित माल के विनिर्माण करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा रखरखाव किए जाने के लिए अतिरिक्त अभिलेख

- (1) अनुसूची में उल्लिखित माल के विनिर्माण में लगा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कारबार के प्रत्येक स्थान में **प्ररूप एस.आर.एम-॥क** में यथानिर्दिष्ट प्ररूप में इलेक्ट्रॉनिक मीटर और जनरेटर सेट मीटर की दैनिक रीडिंग के रिकार्ड के साथ-साथ जनित किए गए अपशिष्ट के ब्यौरे के साथ-साथ मात्रा और मूल्य के निबंधन में प्रोद्यभूत और उपयोग किए जा रहे इनपुट के दैनिक अभिलेख को रखेगा।
- (2) तथापि, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कारबार के प्रत्येक स्थान में **प्ररूप एस.आर.एम-॥ख** में यथानिर्दिष्ट एक प्ररूप में मात्रा और मूल्य के निबंधन में मशीन-वार उत्पादन, उत्पाद-वार और ब्रांड-वार अनापत्ति के ब्यौरे के दैनिक शिफ्ट-वार अभिलेख भी रखेगा।

दिन 1	बिजली रीडिंग					
	बिजली रीडिंग			जनरेटर सेट मीटर रीडिंग		
	प्रारंभिक मीटर रीडिंग	अंतिम मीटर रीडिंग	खपत (किवा.)	प्रारंभिक मीटर रीडिंग	अंतिम मीटर रीडिंग	खपत (किवा.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दिन 2						
....						
मास का अंतिम दिन						

IndiaCode

**प्ररूप एस.आर.एम-IIIख
उत्पादन रजिस्टर**

दिन 1													ब्रांड 2	ब्रांड बीएन			
मशीन एम1 (मशीन की विशिष्ट आईडी का उल्लेख करें)													एम. 2	एम एल	सभी मशीनों की कुल संख्या		
पैक किए गए पाउच पी1 की कुल संख्या													...	-	सभी मशीनों द्वारा ब्रांड बी.1 का कुल उत्पादन मूल्य (रुपये)		
पाउच पी.1 का इकाई मान																	
पैक किए गए पाउच पी 1 का कुल मूल्य (बी1) (रुपये में)																	
पाउच की कुल संख्या ... पी.एन. पी.पैकड																	
पाउच का मूल्य ... पी.एन.																	
पाउच पीएन पैक (बीएन) का कुल मूल्य (रुपये में)																	
मशीन द्वारा पैक किए गए पाउच की कुल संख्या एम.1 (पी.1 + पी.2+.. पी.एन.)																	
मशीन द्वारा पैक किए गए पाउच का कुल मूल्य एम.1 (रु. में) (बी.1 + बी.2+..बी.एन.)																	

3. विशेष मासिक कथन

- (1) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के दसवें दिन या उससे पूर्व सामान्य पोर्टल पर प्ररूप एस.आर.एम-IV में प्रत्येक माह के लिए विशेष कथन प्रस्तुत करेगा।

प्ररूप एस.आर.एम-IV

अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के निर्माता द्वारा उपयोग किए गए आदानों और अंतिम माल का मासिक विवरण
भाग-क

महीने के लिए कुल	इनपुट का एचएसएन	इनपुट का विवरण	इकाई की मात्रा	प्रारंभिक रोकड़ (इकाइयों में)	खरीदी गई मात्रा (इकाइयों में)	खरीदी गई मात्रा (रुपये में मूल्य)	मात्रा खपत (इकाइयों में)	अंतिम शेष राशि (इकाइयों में)	उत्पन्न अपशिष्ट (इकाइयों में)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	एचएसएन1								
	एचएसएन2								
	एचएसएन3								
	 एचएसएन								

मास के लिए कुल1	बिजली रीडिंग					
	बिजली रीडिंग			जनरेटर सेट मीटर रीडिंग		
	प्रारंभिक मीटर रीडिंग	अंतिम मीटर रीडिंग	खपत (किवा.)	प्रारंभिक मीटर रीडिंग	अंतिम मीटर रीडिंग	खपत (किवा.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

माल के उत्पादन का विवरण

भाग-ख

[illegible]

अनुसूची

क्र.सं.	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	2106 90 20	पान-मसाला
2.	2401	अनिर्मित तंबाकू (लाइम ट्यूब के बिना) - एक ब्रांड नाम के साथ
3.	2401	अनिर्मित तंबाकू (चूने की ट्यूब के साथ) - एक ब्रांड नाम के साथ
4.	2401 30 00	तंबाकू से इंकार, एक ब्रांड नाम तंबाकू से इंकार, एक ब्रांड नाम
5.	2403 11 10	'हुक्का' या 'गुडाकू' तंबाकू जिसका ब्रांड नाम है
6.	2403 11 10	'हुक्का' या 'चिलम' धूम्रपान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तंबाकू जिसे आमतौर पर 'हुक्का' तंबाकू या 'गुडाकू' के रूप में जाना जाता है, जिसका ब्रांड नाम नहीं है
7.	2403 11 90	अन्य पानी पाइप धूम्रपान तंबाकू एक ब्रांड नाम नहीं रखते हैं।
8.	2403 19 10	पाइप और सिगरेट के लिए धूम्रपान मिश्रण
9.	2403 19 90	ब्रांड नाम वाले अन्य धूम्रपान तंबाकू
10.	2403 19 90	अन्य धूम्रपान करने वाले तंबाकू का ब्रांड नाम नहीं है
11.	2403 91 00	"होमोजेनाइज्ड" या "पुनर्गठित" तंबाकू, जिसका ब्रांड नाम है
12.	2403 99 10	चबाने वाला तंबाकू (चूने की ट्यूब के बिना)
13.	2403 99 10	चबाने वाला तंबाकू (चूना ट्यूब के साथ)
14.	2403 99 10	फ़िल्टर खैनी
15.	2403 99 20	चबाने वाले तंबाकू युक्त तैयारी
16.	2403 99 30	जर्दा सुगंधित तंबाकू
17.	2403 99 40	सुंघनी
18.	2403 99 50	सुंघनी युक्त तैयारी
19.	2403 99 60	तंबाकू के अर्क और एक ब्रांड नाम वाले सार
20.	2403 99 60	तंबाकू के अर्क और सार पर ब्रांड नाम नहीं है
21.	2403 99 70	तंबाकू में कटौती
22.	2403 99 90	पान मसाला जिसमें तंबाकू 'गुटखा' होता है
23.	2403 99 90	पान मसाला के अलावा तंबाकू 'गुटखा' युक्त सभी सामान, एक ब्रांड नाम के साथ
24.	2403 99 90	पान मसाला के अलावा तंबाकू 'गुटखा' युक्त सभी सामान, जिनका ब्रांड नाम नहीं है

स्पष्टीकरण

- (1) अनुसूची में, "टैरिफ मद", "शीर्ष", "उपशीर्ष" तथा "अध्याय" से सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद शीर्ष, उपशीर्ष और अध्याय अभिप्रेत है।
- (2) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के निर्वचन के लिए नियम जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची की धारा तथा अध्याय टिप्पण और साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, इस अधिसूचना के निर्वचन में जहां तक वे लागू हैं।
- (3) इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए "ब्रांड नाम" वाक्यांश से ब्रांड नाम या व्यापार नाम चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो अथवा नहीं, जैसाकि कहा जाता है एक नाम या मार्क अभिप्रेत है, जैसे प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कृत शब्द या लिखा जाना, जो चिह्नित करने के प्रयोजन के लिए ऐसे विशिष्ट माल के संबंध में प्रयोग किया जाता है या ऐसे विशिष्ट माल के मध्य व्यापार के अनुक्रम में संबंध को दर्शित करता हो तथा कुछ व्यक्ति ऐसे नाम या चिह्न के साथ या उस व्यक्ति की पहचान के किसी चिह्नांकन के बिना प्रयोग किया जाता हो।

[(सं०सं० बिक्री-विविध/जीएसटी/ कर-21/2017 (खंड-16)3545)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

5 अक्टूबर, 2023

एस० ओ० 261, दिनांक 5 अक्टूबर, 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-16) 3545)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 5th October 2023

S.O. 261, Date 5th October 2023--In exercise of the powers conferred by section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017, (Bihar Act 12, 2017), (hereinafter referred to as the said Act), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby notifies the following special procedure to be followed by a registered person engaged in manufacturing of the goods, the description of which is specified in the corresponding entry in column (3) of the Schedule appended to this notification, and falling under the tariff item, sub- heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule, namely: —

1. Details of Packing Machines

- (1) All the existing registered persons engaged in manufacturing of the goods mentioned in Schedule to this notification shall furnish the details of packing machines being used for filling and packing of pouches or containers in **FORM SRM-I**, within 30 days of issuance of this notification, electronically on the common portal,—

FORM SRM-I

Serial No.	Make and Model No. of the Machine (including the name of manufacturer)	Date of Purchase of the Machine	Address of place of business where installed	No. of Tracks	Packing Capacity of each track	Total packing capacity of machine	Electricity consumption by the machine per hour	Supporting Documents	Unique ID of the machine (to be auto populated)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
								<<Capacity certificate from Chartered Engineer>>	

- (2) Any person intending to manufacture goods as mentioned in Schedule to this notification, and who has been granted registration after the issuance of this

notification, shall furnish the details of packing machines being used for filling and packing of pouches or containers in **FORM SRM-I** on the common portal, within fifteen days of grant of such registration.

- (3) The details of any additional filling and packing machine being installed in the registered place of business shall be furnished, electronically on the common portal, by the said registered person within 24 hours of such installation in **FORM SRM-IIA**.
- (4) Upon furnishing of such details in **FORM SRM-I** or **FORM SRM-IIA**, a unique ID shall be generated for each machine, whose details have been furnished by the registered person, on the common portal.
- (5) In case, the said registered person has submitted or declared the production capacity of his manufacturing unit or his machines, to any other government department or any other agency or organization, the same shall be furnished by the said registered person in **FORM SRM-IA** on the common portal, within fifteen days of filing said declaration or submission:

Provided that where the said registered person has submitted or declared the production capacity of his manufacturing unit or his machines, to any other government department or any other agency or organization, before the issuance of this notification, the same shall be furnished by the said registered person in **FORM SRM-IA** on the common portal, within thirty days of issuance of this notification.

FORM SRM-IA

Serial No.	Name of Govt. Department/ any other agency or organization	Type of Declaration/ Submission	Details of Declaration/Submission
(1)	(2)	(3)	(4)
		<<copy of declaration to be uploaded on the portal>>	

FORM SRM-IIA

[Details of installation of additional machine(s)]

Serial No.	Make and Model No. of the Machine (including the name of manufacturer)	Date of Purchase of the Machine	Date of installation of the Machine	Address of place of business where installed	No. of Tracks	Packing Capacity of each track	Total packing capacity of machine	Electricity consumption by the machine per hour	Supporting Documents	Unique ID of the machine (to be auto populated)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									<<Capacity certificate from Chartered Engineer>>	

- (6) The details of any existing filling and packing machine removed from the registered place of business shall be furnished, electronically on the common portal, by the said registered person within 24 hours of such removal in **FORM SRM-IIB**.

FORM SRM-IIB
[Details of removal of the existing machine(s)]

SerialNo.	Unique ID of the machine	Make and Model No. of the Machine <<auto-populated>>	Date of Purchase of the Machine <<auto-populated>>	Address of place of business from where the machine is removed. <<auto-populated>>	No. of Tracks <<auto-populated>>	Packing Capacity of each track <<auto-populated>>	Total packing capacity of machine <<auto-populated>>	Date of Removal	Reasons for removal/disposal of the machine.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									<<Sold to third party>> <<Scrap>>

2. Additional records to be maintained by the registered persons manufacturing the goods mentioned in the Schedule

- (1) Every registered person engaged in manufacturing of goods mentioned in Schedule shall keep a daily record of inputs being procured and utilized in quantity and value terms along with the details of waste generated as well as the daily record of reading of electricity meters and generator set meters in a format as specified in **FORM SRM-IIIA** in each place of business.
- (2) Further, the said registered person shall also keep a daily shift-wise record of machine-wise production, product-wise and brand-wise details of clearance in quantity and value terms in a format as specified in **FORM SRM-IIIB** in each place of business.

FORM SRM-III A

Inputs Register

Day1	HSN of the Input	Description of the Input	Unit quantity	Opening Balance (in units)	Quantity procured (in units)	Quantity procured (value in Rs)	Qty Consumed (in units)	Closing Balance (in units)	Waste generated in respect of the said input (qty) (in units)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	HSN1								
	HSN2								
	HSN3								
									
	HSNn								
Day 2									
Day 3									
.....									
Last Day of Month									

Day 1	<i>Electricity Reading</i>					
	<i>Electricity meter reading</i>			<i>Generator set meter reading</i>		
	<i>Initial Meter Reading</i>	<i>Final Meter Reading</i>	<i>Consumption (kWh)</i>	<i>Initial Meter Reading</i>	<i>Final Meter Reading</i>	<i>Consumption (kWh)</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Day 2						
.....						
Last Day of Month						

[illegible]

....Dayn of the month														
	Total for the Mont h													

3. Special Monthly Statement

- (1) The said registered person shall submit a special statement for each month in **FORM SRM-IV** on the common portal, on or before the tenth day of the month succeeding such month.

FORM SRM-IV

Monthly Statement of Inputs used and the final goods produced by the manufacturer of goods specified in Schedule
PART-A

Total for Month	HSN of the Input	Descripti on of the Input	Unit quantity	Opening Balance (in units)	Quantity procured (in units)	Quantity procured (value in Rs)	Qty Consumed (in units)	Closing Balance (in units)	Waste generated qty (in units)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	HSN1								
	HSN2								
	HSN3								
	 HSNn								

Statement of production of goods
PART-B

[illegible]

Schedule

S.No	Chapter / Heading / Sub-heading/ Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	2106 90 20	Pan-masala
2.	2401	Unmanufactured tobacco (without lime tube) – bearing a brand name
3.	2401	Unmanufactured tobacco (with lime tube) – bearing a brand name
4.	2401 30 00	Tobacco refuse, bearing a brand name
5.	2403 11 10	'Hookah' or 'gudaku' tobacco bearing a brand name
6.	2403 11 10	Tobacco used for smoking 'hookah' or 'chilam' commonly known as 'hookah' tobacco or 'gudaku' not bearing a brand name
7.	2403 11 90	Other water pipe smoking tobacco not bearing a brand name.
8.	2403 19 10	Smoking mixtures for pipes and cigarettes
9.	2403 19 90	Other smoking tobacco bearing a brand name
10.	2403 19 90	Other smoking tobacco not bearing a brand name
11.	2403 91 00	“Homogenised” or “reconstituted” tobacco, bearing a brand name
12.	2403 99 10	Chewing tobacco (without lime tube)
13.	2403 99 10	Chewing tobacco (with lime tube)
14.	2403 99 10	Filter khaini
15.	2403 99 20	Preparations containing chewing tobacco
16.	2403 99 30	Jarda scented tobacco
17.	2403 99 40	Snuff
18.	2403 99 50	Preparations containing snuff
19.	2403 99 60	Tobacco extracts and essence bearing a brand name
20.	2403 99 60	Tobacco extracts and essence not bearing a brand Name
21.	2403 99 70	Cut tobacco
22.	2403 99 90	Pan masala containing tobacco ‘Gutkha’
23.	2403 99 90	All goods, other than pan masala containing tobacco 'gutkha', bearing a brand name
24.	2403 99 90	All goods, other than pan masala containing tobacco 'gutkha', not bearing a brand name

Explanation.—

- (1) In this Schedule, “tariff item”, “heading”, “sub-heading” and “Chapter” shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).
- (2) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975 of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of t, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes his notification.

- (3) For the purposes of this notification, the phrase “brand name” means brand name or trade name, whether registered or not, that is to say, a name or a mark, such as symbol, monogram, label, signature or invented word or writing which is used in relation to such specified goods for the purpose of indicating, or so as to indicate a connection in the course of trade between such specified goods and some person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-16) 3545)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।

बिहार गजट (असाधारण) 806-571+10-डी0टी0पी0 ।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>